

**औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चिन्तपूर्णी (स्थित नैहरी), तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल
प्रदेश के निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 9/2010 से 3/2015**

1 प्रारम्भिक

प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: EDN(TC)A(1)31/2006 दिनांक 8.10.2007 द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चिन्तपूर्णी (स्थित नैहरी) द्वारा सत्र 2007-08 से कार्य करना आरम्भ किया है। प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 20.1.2016 द्वारा सूचित किया है कि शैक्षणिक सत्र 2007-08 से 2009-10 के दौरान छात्र निधियों का रख-रखाव आईटीआई ऊना की छात्र निधियों के साथ किया गया है तथा माह 9/2010 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चिन्तपूर्णी (स्थित नैहरी) की छात्र निधियों की रोकड़ वहियों का रख-रखाव अलग से आरम्भ किया गया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चिन्तपूर्णी (स्थित नैहरी) की अवधि 9/2010 से 3/2015 की छात्र निधियों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13.1.2016 से 21.1.2016 के दौरान संस्थान में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया है।

आय:- 9/2010, 7/2011, 7/2012, 7/2013, 7/2014

व्यय:- 3/2011, 4/2011, 8/2012, 8/2013, 12/2014

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का किसी भी प्रकार से उत्तरदायित्व नहीं है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य संस्थान में आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे हैं।

क्रम संख्या	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री सी0एल0 डांगी	9/2010 से 30.11.2014
2.	श्री पी0सी0 अत्री	1.12.2014 से 31.3.2015

2 अंकेक्षण शुल्क

संस्थान के अवधि 9/2010 से 3/2015 के निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹12600 आंका गया है, जिसे प्रधानाचार्य द्वारा यू0को0 बैंक नैहरी के बैंक ड्राफ्ट संख्या 780901 दिनांक 21.1.2016 के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के पास जमा करवा दिया गया है।

3 वित्तीय स्थिति

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चिन्तपूर्णी (स्थित नैहरी) द्वारा प्रस्तुत संस्थान की अवधि 9/2010 से 3/2015 की विभिन्न निधियों की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट- “क” पर संलग्न है।

4 छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही में अन्य निधियों की आय तथा व्यय की राशि को भी दर्ज करना

जांच के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्नलिखित निधियों की रोकड़ वही अलग-अलग से नहीं लगाई गई है, अपितु उक्त निधियों की आय व व्यय को छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही में दर्ज किया गया है, जोकि अनियमित है। अतः तुरन्त प्रभाव से इन निधियों की रोकड़ वहियां अलग से लगाई जानी सुनिश्चित की जाएं व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

1. Identity Card
2. Medical Fees
3. Internal Exam Fees
4. Insurance Fund
5. Electricity and water charges
6. Library Fees
7. NTC Charges
8. Computer Fund

5 प्रवेश के समय छात्र कल्याण निधि से कर्मचारियों के जलपान पर ₹5300 का अनियमित भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा विभाग व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण की अधिसूचना संख्या: EDN(TE)-A(3)2/2004 दिनांक 8.7.2010 के अनुसार प्रवेश के समय कर्मचारियों को जलपान हेतु व्यय करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, परन्तु जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार प्रवेश के समय आईटीआई कर्मचारियों के जलपान पर ₹5300 का भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उचित स्रोत से करनी सुनिश्चित की जाए।

मास/दिनांक	विवरण	भुगतान राशि
26.9.2011	जलपान	800
23.7.2012	जलपान	810
25.7.2012	जलपान	825
19.9.2012	जलपान	980
14.11.2013	जलपान	895
4.12.2014	जलपान	990
	योग	5300

6 छात्र कल्याण निधि से ₹20506 का अनियमित भुगतान करना

निम्न विवरणानुसार छात्र कल्याण निधि से किया गया व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा विभाग व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण की अधिसूचना संख्या: EDN(TE)-A(3)2/2004 दिनांक 8.7.2010 के अनुसार निधि पर वैद्य प्रभार नहीं है, जिसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित की जाए।

वा0 सं0	मास	विवरण	राशि
3	3/2015	(i) Salary of Ms. Shashi Bala Data entry operator	6921
		(ii) Rajinder Pal & Associates Accounts & Tax Consultant	500
		(iii) Electricity Bill	2568
7	3/2015	(i) Salary of Ms. Shashi Bala Data entry operator	6921
8	3/2015	(i) Telephone Bill	1404
		(ii) Electricity Bill	2192
		योग	20506

7 प्रधानाचार्य के आदेशों के बिना वेतन का भुगतान करना

वाउचर संख्या 39, मास 9/2013 के अन्तर्गत छात्र कल्याण निधि से ₹5200 का भुगतान श्री पिकू चपड़ासी को वेतन के रूप में किया गया, परन्तु प्रधानाचार्य द्वारा भुगतान के आदेश पारित नहीं किए गए थे। अतः इस सन्दर्भ में वांछित कार्रवाई अब करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना

छात्र कल्याण निधि से विभिन्न प्रायोजनों हेतु अग्रिम दिए गए हैं, लेकिन अग्रिम रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः अवधि 9/2010 से 3/2015 का अग्रिम रजिस्टर तैयार न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं व तुरन्त प्रभाव से अग्रिम रजिस्टर तैयार करके इसे सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

9 स्थाई निवेश रजिस्टर तैयार न करना

जांच के दौरान पाया गया कि विभिन्न निधियों से सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशि का स्थाई निवेश रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। अतः स्थाई निवेश रजिस्टर तैयार न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा स्थाई निवेश रजिस्टर तैयार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जाए।

10 भौतिक सत्यापन बारे

जांच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चिन्तपूर्णी (स्थित नैहरी) में छात्र कल्याण निधियों से खरीदे गए स्थाई व अस्थायी सामान का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कमेटी गठित करने के उपरान्त छात्र कल्याण निधियों के स्टोर व स्टॉक में पड़े शेष सामान का भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12 निष्कर्ष:— लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)xi(v)125 / 2016, खण्ड-1-3605-3606 दिनांक 21.06.16, शिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- पंजीकृत
- 1 प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चिन्तपूर्णी (स्थित नैहरी), तहसील अम्ब, जिला ऊना, (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/—

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.